20/7/21 नियत दिनांक को राज्य सरकार द्वारा लोकहित घोषित होने से पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय अपीलांट द्वारा हस्तगत आवेदन रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र के साथ पेश किया गया जिसके दिनांक 19/8/2019 को आदेश पारित होने से मूल अपील पत्रावली नंबर पर दर्ज की गई तथा उसके स्थगन आदेश प्रभावी हो पत्रावली कैशल कुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सर्व जनसाधारण सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर